रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230936
CG-DL-E-03112021-230936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943
No. 626] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 774(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल (मुख्य खजांची और सहायक मुख्य खजांची) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के उप मुख्य लेखा अधिकारी (रोकड़ और वेतन), मुख्य खजांची और सहायक मुख्य खजांची के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, (उप मुख्य लेखा अधिकारी (रोकड़ और वेतन), मुख्य खजांची और सहायक मुख्य खजांची) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।**	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. उप मुख्य लेखा अधिकारी (रोकड़ और वेतन).	6* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-12 (78800-209200 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	40% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 60% प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा मुख्य खंजाची वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रू.) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष; 2. सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड- सदस्य; और 3. अध्यक्ष एवं मुख्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

		में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले भारतीय रेल लेखा सेवा के अधिकारी। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि : जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित कोई अन्य बोर्ड सदस्य – सदस्य।	

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।**	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
2. मुख्य खजांची	3* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 11 (67700 - 208700 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। .	लागू नहीं होता।

	सकता है।						

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति:** चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा सहायक मुख्य खंजाची वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; (2) प्रबंधन सेवाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक - सदस्य; और (3) लेखा निदेशालय, रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक – सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):- (1) प्रधान वित्त सलाहकार – अध्यक्ष*; (2) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी -सदस्य; (3) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी – सदस्य * विभागीय पुष्टि समिति के वरिष्ठतम अधिकारी विभागीय पुष्टि समिति के अध्यक्ष होंगे।	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक है।

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. **सहायक मुख्य खजांची**	13* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर 8 (47600-151100 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	100% प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (जिसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और सेवा के रिकॉर्ड का आकलन शामिल होगा) प्रभागीय खजांची वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) प्रधान वित्त सलाहकार - अध्यक्ष; (2) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई का प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और (3) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्र.सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी – सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :- (1)प्रधान वित्त सलाहकार - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

		जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(2) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई का प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और (3) संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्र.सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी -सदस्य।	

[फा. सं.2010/ई(जी)आरआर/3/3]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव (गोपनीय)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways (Chief Cashier and Assistant Chief Cashier) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Chief Accounts Officer (Cash and Pay), Chief Cashier and Assistant Chief Cashier of the Indian Railways, namely:

2. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Indian Railways, (Deputy Chief Accounts Officer (Cash and Pay), Chief Cashier and Assistant Chief Cashier) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-**The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward class, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.Deputy Chief Accounts Officer (Cash and Pay).	6* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs 78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	40% by promotion, failing which by deputation; 60% by deputation.	**Promotion:** Promotion through selection from Chief Cashier in level 11 (Rs. 67700 -208700) of the pay matrix with five years' regular service in level 11 of the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Indian Railways Account Service in the Junior Administrative Grade in level 12 of the pay matrix or five years' regular service in level 11 of the pay matrix. **Note 1:** The departmental	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board – Chairman; 2. Member (Finance), Railway Board – Member; and 3. Any other Board Member to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of the receipt of the applications.		

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Chief Cashier	3* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 11 (Rs. 67700 - 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	100% by promotion.	**Promotion:** Promotion through selection from Assistant Chief Cashier in level 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix with six years regular service in level 8 of the pay matrix.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- (1)Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2)Executive Director of	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion.

		Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Management Services Directorate, Railway Board – Member; and (3) Executive Director of Accounts Directorate, Railway Board -Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (1) Principal Financial Adviser –Chairman*; (2) Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit– Member; (3) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than Departments represented by officers at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member *The senior most officer of Departmental Confirmation Committee will be the Chairman of Departmental Confirmation Committee.	

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Assistant Chief Cashier.	13* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (Rs. 47600-151100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

	vacancies to be filled by various methods			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	100 % by promotion.	**Promotion:** Promotion through selection (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) from Divisional Cashier in level 7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with two years regular service in level 7 of the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- (1) Principal Financial Adviser – Chairman; (2) Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and (3) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at Serial Number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (1) Principal Financial Adviser – Chairman; (2) Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and (3) Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at Serial Number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No.2010/E(G)RR/3/3]

NAVIN KUMAR Jt. Secy.(Confidential)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.03 16:19:31 +05'30'